प्रेस नोट/सराहनीय कार्य- *(पत्रांक-240/2024 दिनांक 27.08.2024)* *दिनांक-27.08.2024 को जनपद कुशीनगर पुलिस द्वारा किया गया सराहनीय कार्य-*

अंतर्जनपदीय शराब तस्करी गैंग का पर्दाफाश, एक अदद बोलेरो वाहन मय 35 पेटी देशी शराब (वाहन सिहत कुल कीमत लगभग 10 लाख 80 हजार रुपये/-) के साथ दो शराब तस्करों को किया गया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री संतोष कुमार मिश्रा के निर्देशन में व अपर पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री अभिनव त्यागी के पर्यवेक्षण तथा क्षेत्राधिकारी तमकुहीराज श्री जितेन्द्र सिंह कालरा के नेतृत्व में अवैध शराब/बिक्री/ निष्कर्षण की रोक-थाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 26.08.2024 को भुलिया बाजार नहर के पास से थाना तरया सुजान पुलिस टीम द्वारा संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चेकिंग के दौरान एक अदद बोलेरो वाहन से तस्करी हेतु ले जायी जा रही कुल 35 पेटी देशी शराब की बरामदगी करते हुए 02 शराब तस्करों 1-रामप्रवेश यादव पुत्र स्व0 सुखारी यादव सा0 सुमही बुजुर्ग उर्फ मेंहदिया थाना तरया सुजान जनपद कुशीनगर व 2-अवधराज जायसवाल पुत्र स्व0 सीताराम जायसवाल सा0 सेवरही थाना सेवरही जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार किया गया। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 299/2024 धारा 60/72 आबकारी अधि0 में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

अपराध का तरीका-

अभियुक्तों द्वारा पुछताछ के दौरान बताया गया कि वे लोग तरयासुजान अंतर्गत भुलिया बाजार स्थित शराब की दुकान से अधिक मात्रा में शराब खरीदते है व ऊंचे दामों में बेचने के लिये बोलेरो वाहन में शराब छिपाकर बिहार लेकर जाते है।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0-299/2024 धारा 60/72 आबकारी अधि0 थाना तरयासुजान जनपद कुशीनगर

गिरफ्तार अभियुक्त-

- 1.रामप्रवेश यादव पुत्र स्व0 सुखारी यादव सा0 सुमही बुजुर्ग उर्फ मेंहदिया थाना तरया सुजान जनपद कुशीनगर
- 2.अवधराज जायसवाल पुत्र स्व0 सीताराम जायसवाल सा0 सेवरही थाना सेवरही जनपद कुशीनगर

बरामदगी-(कुल कीमत लगभग 10 लाख 80 हजार)

- 1-एक अदद बोलेरो (वाहन सं0 UP 53 Y 4048) (कीमत लगभग 10 लाख रुपये/-)
- 2-35 पेटी देशी शराब कुल मात्रा 315 लीटर (कीमत लगभग 80 हजार रुपये/-)

बरामदगी/गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम:-

- 1.प्रभारी निरीक्षक श्री आशुतोष कुमार सिंह थाना तरया सुजान जनपद कुशीनगर
- 2.व030नि0 श्यामलाल निषाद थाना तरया सुजान जनपद कुशीनगर
- 3.30नि0 प्रभात यादव थाना तरया सुजान जनपद कुशीनगर
- 4.का0 श्रीकृष्ण मौर्य थाना तरया सुजान जनपद कुशीनगर
- 5.का0 अवनीश सिंह थाना तरया सुजान जनपद कुशीनगर
- 6.का0 अतीश कुमार थाना तरया सुजान जनपद कुशीनगर

नोट- इस सराहनीय कार्य के लिए पुलिस अधीक्षक कुशीनगर द्वारा पूरी पुलिस टीम को 15,000/- रु0 पुरस्कार दिया गया है।

अवैध तरीके से तस्करी हेतु ले जायी जा रही शीशम व सागौन की लकड़ी (184 बोटा) मय ट्रक वाहन (वाहन सहित कुल कीमत करीब 20 लाख रुपये) के साथ 02 तस्करों को किया गया गिरफ्तार-

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री सन्तोष कुमार मिश्र के निर्देशन में व अपर पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री रितेश कुमार सिंह के पर्यवेक्षण में तथा क्षेत्राधिकारी सदर श्री अभिषेक प्रताप अजेय के नेतृत्व में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 27.08.2024 को नायरा पेट्रोल पम्प के सामने अमवा चौधरी जाने वाले रास्ते के पास से थाना तुर्कपट्टी पुलिस टीम द्वारा संदिग्ध वाहन व्यक्ति की चेकिंग के दौरान कसया की तरफ से आ रही एक अदद ट्रक वाहन सं0 (UP 53 ET 1278) से तस्करी हेतु ले जायी जा रही अवैध शीशम की लकड़ी (158 बोटा), सागौन की लकड़ी (26 बोटा) कुल 184 बोटा लकड़ी की बरामदगी करते हुए 02 तस्करों 1-सूर्यभान सिंह पुत्र श्री रामदेव सिंह सा0 अन्धया थाना कसया जनपद कुशीनगर व 2-दिनेश राजभर पुत्र बृज राजभर सा0 मल्लूडीह थाना कसया जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार किया गया। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 258/2024 धारा 4/10 उ0प्र0 वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 व धारा 3/28 उ0प्र0 इमारती लकड़ी एवं अन्य वनोपज की अभिवहन नियमावली 1978 में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

अपराध करने का तरीका-

पूछताछ के दौरान गिरफ्तार व्यक्तियों द्वारा बताया गया कि हम लोग अपने साथियों के साथ मिलकर लकड़ी जनपद गोण्डा, बहराइच या अन्य जंगलों से काटकर बिना किसी वैध कागज के उत्तर प्रदेश से बिहार सप्लाई करते है।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 258/2024 धारा 4/10 उ0प्र0 वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 व धारा 3/28 उ0प्र0 इमारती लकड़ी एवं अन्य वनोपज की अभिवहन नियमावली 1978 थाना तुर्कपट्टी जनपद कुशीनगर

- 1-सूर्यभान सिंह पुत्र श्री रामदेव सिंह सा0 अन्धया थाना कसया जनपद कुशीनगर
- 2-दिनेश राजभर पुत्र बृज राजभर सा0 मल्लूडीह थाना कसया जनपद कुशीनगर
- *बरामदगी-* (वाहन सहित कुल कीमत लगभग 20 लाख रुपये/-)
- 1-एक अदद ट्रक वाहन सं0 (UP 53 ET 1278) (कीमत लगभग 15 लाख रुपये)
- 2-शीशम की लकड़ी 158 बोटा व सागौन की लकड़ी 26 बोटा (05 लाख रुपये
- *अभियुक्त सूर्यभान सिंह उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-* मु0अ0सं0 711/2022 धारा 41/42/52/69 भारतीय वन अधिनियम थाना को0 हाटा जनपद कुशीनगर
- *बरामदगी/गिरफ्तारी करने वाली टीम-*
- 1-थानाध्यक्ष श्री संजय कुमार थाना तुर्कपट्टी जनपद कुशीनगर
- 2-30नि0 श्री अवनीश सिंह चौकी प्रभारी मधुरिया थाना तुर्कपट्टी जनपद कुशीनगर
- 3-हे0का0 संजय यादव थाना तुर्कपट्टी जनपद कुशीनगर
- 4-का0 अवधेश यादव थाना तुर्कपट्टी जनपद कुशीनगर
- 5-का0 श्यामसुन्दर थाना तुर्कपट्टी जनपद कुशीनगर
- 6-का0 जितेन्द्र कुमार थाना तुर्कपट्टी जनपद कुशीनगर
- 7-का0 रामजी थाना तुर्कपट्टी जनपद कुशीनगर
- 8- वन दरोगा अशोक कुमार चतुर्वेदी प्रवर्तन दल वन विभाग कुशीनगर
- 9- वन दरोगा शेष नरायन त्रिपाठी प्रवर्तन दल वन विभाग कुशीनगर
- 10-झगरू यादव (माली/चौकीदार) प्रवर्तन दल वन विभाग कुशीनगर
- *नोट- इस सराहनीय कार्य के लिए पुलिस अधीक्षक कुशीनगर द्वारा पूरी पुलिस टीम को 15,000/- रु0 पुरस्कार दिया गया है।*
- *चोरी की घटना का सफल अनावरण, चोरी गये 04 अदद मोटर साइकिल के साथ एक नफर शातिर चोर को किया गया गिरफ्तार-*

पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री संतोष कुमार मिश्रा के निर्देशन में व अपर पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री अभिनव त्यागी के पर्यवेक्षण तथा क्षेत्राधिकारी तमकुहीराज श्री जितेन्द्र सिंह कालरा के नेतृत्व में अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 26.08.2024 को थाना सेवरही पुलिस द्वारा ठकरहा पुल के पास तलाश वांछित/ वारण्टी व चेंकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन के क्रम में एक नफर शातिर चोर गोविन्द कुमार उर्फ मनीष पुत्र कन्हैया साहनी पता जवही दयाल थाना तरया सुजान जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार करते हुए उसके कब्जे से 4 अदद मोटर साइकिल की बरामदगी की गई। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 293/2024 धारा 317(2)/317(4)/317(5) बीएनएस पंजीकृत कर अग्रिम आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग- म्0अ0सं0 293/2024 धारा 317(2)/317(4)/317(5) बीएनएस

गिरफ्तार अभियुक्त-

गोविन्द कुमार उर्फ मनीष पुत्र कन्हैया साहनी साकिन जवही दयाल थाना तरया सुजान जनपद कुशीनगर

बरामदगी विवरण-

- 1. एक अदद टीवीएस अपाची वा0सं0 BR28Z0192,
- 2. एक अदद पैशन प्रो वा0सं0 UP57AH7421,
- 3.02 अदद हीरो मोटर साइकिल बिना नम्बर प्लेट की
- *गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली टीम-*
- 1.प्र0नि0 श्री दिग्विजय नरायण राय थाना सेवरही जनपद कुशीनगर
- 2.30नि0 संदीप वर्मा थाना सेवरही जनपद कुशीनगर
- 3.30नि0 राजेश यादव थाना सेवरही जनपद कुशीनगर
- 4.30नि0 अभिनव राय थाना सेवरही जनपद कुशीनगर
- 5.का0 आदित्य प्रताप सिंह थाना सेवरही जनपद कुशीनगर
- 6.का0 प्रदीप सिंह थाना सेवरही जनपद कुशीनगर
- 7.का0 प्रदीप यादव थाना सेवरही जनपद कुशीनगर
- 8.का0 किशन सिंह थाना सेवरही जनपद कुशीनगर

अंतर्राज्यीय पशु तस्कर गैंग का खुलासा, एक अदद डीसीएम पीकप वाहन मय 09 राशि गोवंशीय पशुओं के साथ 03 पशु तस्करों को किया गया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री संतोष कुमार मिश्रा के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री अभिनव त्यागी के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी कसया श्री कुन्दन कुमार सिंह के नेतृत्व में गोवंशी पशुओं की तस्करी के विरुद्ध चलाये जा रहे है अभियान के क्रम मे आज दिनांक 27.08.2024 को विशुनपुर कट एनएच 28 के पास से थाना कसया पुलिस टीम द्वारा डीसीएम पीकप वाहन सं0 PB10HU8287 से तस्करी कर वध हेतु ले जायी जा रही 09 राशि गोवंशीय पशुओं की बरामदगी करते हुए 03 अंतर्राज्यीय पशु तस्करो 1- पवित्र सिंह पुत्र गुरुचरण सिंह निवासी अड़इचा दोराहा जनपद लुधियाना पंजाब 2-जगदीश सिंह पुत्र पवित्र सिंह निवासी अड़इचा दोराहा जनपद लुधियाना पंजाब 3-रघुवीर राय पुत्र स्व0 लोकनाथ राय निवासी केदन पुरा थाना अकीलपुर पटना बिहार को किया गया गिरफ्तार। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 0550/2024 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रुरता निवारण अधिनियम में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 0550/2024 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रुरता निवारण अधिनियम थाना कसया जनपद कुशीनगर

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

- 1.पवित्र सिंह पुत्र गुरुचरण सिंह निवासी अड़इचा दोराहा जनपद लुधियाना पंजाब
- 2.जगदीश सिंह पुत्र पवित्र सिंह निवासी अड़इचा दोराहा जनपद लुधियाना पंजाब
- 3.रघुवीर राय पुत्र स्व0 लोकनाथ राय निवासी केदन पुरा थाना अकीलपुर पटना बिहार
- *बरामदगी का विवरण-*
- 1.डीसीएम पीकप वाहन संख्या PB10HU8287
- 2.09 राशि गोवंशीय पशु
- *बरामदगी/गिरफ्तारी करने वाली टीम:-*
- 1.प्र0नि0 गिरिजेश उपाध्याय थाना कसया जनपद कुशीनगर
- 2.30नि0 रणजीत सिंह बघेल यादव थाना कसया जनपद कुशीनगर
- 3.मुख्य आरक्षी साहिल यादव थाना कसया जनपद कुशीनगर
- 4.का0 अमित कुमार यादव थाना कसया जनपद कुशीनगर
- 5.का0 राहुल पाण्डेय थाना कसया जनपद कुशीनगर
- 6.का0 उमेश सिंह थाना कसया जनपद कुशीनगर
- 7.का0 राहुल प्रजापति थाना कसया जनपद कुशीनगर
- 8.का0 मयंक दूबे थाना कसया जनपद कुशीनगर

शान्ति भंग में की गयी निरोधात्मक कार्यवाही-

जनपद कुशीनगर के विभिन्न थानों की पुलिस द्वारा 32नफर अभियुक्तों को शान्ति भंग में गिरफ्तार कर धारा 170बीएनएसएस के अन्तर्गत आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की गयी।

कार्यवाही एक नजर में=

- 1- मोटर वाहन अधिनियम में की गयी कार्यवाही-सीज-00, ई-चालान-00वाहन
- 2- 126/135 बीएनएसएस में की गयी कार्यवाही-मु0-56,व्यक्ति-172
- 3- वांछित/वारंटी/अन्य अपराधों में अभियुक्तों की गिरफ्तारी-(08)
- 4-जनपद में कुल गिरफ्तारी-(कुल-40)

सोशल मीडिया सेल

जनपद कुशीनगर